न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं0 : 479 सन 2022

अनवान :–

1. धर्मपाल पुत्र नन्दलाल जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. बृजलाल पुत्र हेतराम जाति जाट साकिन मालिया तहसील नोहर।
2. जयपाल पुत्र हेतराम जाति जाट साकिन मालिया तहसील नोहर।
3. जगतपाल पुत्र नन्दलाल जाति जाट साकिन मालिया तहसील नोहर।
4. मैना पत्नी नन्दलाल जाति जाट साकिन मालिया तहसील नोहर।
5. बसन्ती पत्नी रामप्रताप जाति जाट साकिन मालिया तहसील नोहर।
6. पवन कुमार पुत्र रामप्रताप जाति जाट साकिन मालिया तहसील नोहर।
7. रचना पुत्री रामप्रताप जाति जाट साकिन मालिया तहसील नोहर।
8. सुनिता पुत्री रामप्रताप जाति जाट साकिन मालिया तहसील नोहर।
9. सुमन पुत्री रामप्रताप जाति जाट साकिन मालिया तहसील नोहर।
10. ऋतू पुत्री रामप्रताप जाति जाट साकिन मालिया तहसील नोहर।
11. बिमला पत्नी हरदत जाति जाट साकिन मालिया तहसील नोहर।
12. धनपत पुत्र हरदत जाति जाट साकिन मालिया तहसील नोहर।
13. पूनम भीचर पुत्री धनपत जाति जाट साकिन मालिया तहसील नोहर।
14. प्रार्वती कुमारी पुत्री धनपत जाति जाट साकिन मालिया तहसील नोहर।
15. सुनीता कुमारी पुत्री धनपत जाति जाट साकिन मालिया तहसील नोहर।
16. सावित्रीदेवी पुत्री हेतराम जाति जाट साकिन मालिया तहसील नोहर।
17. किरणा पुत्री हेतराम जाति जाट साकिन मालिया तहसील नोहर।
18. जीवणी पत्नी हेतराम जाति जाट साकिन मालिया तहसील नोहर।
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 19/07/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 198/198 की कुल 11.9800है भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हेतराम पुत्र कुशलाराम के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हेतराम पुत्र कुशलाराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पूर्वज है वादी के पूर्वज हेतराम पुत्र कुशलाराम का देहान्त हो चुका है जिसके पुत्र रामप्रताप , नन्दलाल, हरदत का देहान्त होनं के बाद हेताराम पुत्र कुशलाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 है जो हेतराम पुत्र कुशलाराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार विरास्तन से पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 16 ता 17 वादी की बुआ प्रतिवादी संख्या 1 की बहन एव हेतराम पुत्र कुशलाराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 16 ता 17 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 को कई मर्तबा कहा की हेतराम पुत्र कुशलाराम के नाम से दर्ज भूमि में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 के हक हिस्सा के अनुसार राजस्व

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

Scanned with CamScanner

रिकार्ड मे दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त मे इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अत वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की हेतराम पुत्र कुशलाराम के नाम से दर्ज भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 जरिये अधिवक्ता न्यायालय मे उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे वादी के पूर्वज हेतराम पुत्र कुशलाराम के नाम से दर्ज है वादी क पूर्वज हेतराम पुत्र कुशलाराम का देहान्त हो चुका है हेतराम पुत्र कुशलाराम एव उसके पुत्र रामप्रताप , नन्दलाल, हरदत्त का देहान्त हो चुका है इसलिये हेतराम पुत्र कुशलाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 है जो हेतराम पुत्र कुशलाराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है प्रतिवादी संख्या 16 ता 18 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 के नाम उनके हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन मे ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य मे वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपने वाद मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 198/198 की कुल 11.9800है भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे हेतराम पुत्र कुशलाराम के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे हेतराम पुत्र कुशलाराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पूर्वज है वादी के पूर्वज हेतराम पुत्र कुशलाराम का देहान्त हो चुका है जिसके पुत्र रामप्रताप , नन्दलाल, हरदत का देहान्त होने के बाद हेतराम पुत्र कुशलाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 है जो हेतराम पुत्र कुशलाराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार विरासतन से पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 16 ता 17 वादी की बुआ प्रतिवादी संख्या 1 की बहन एव हेतराम पुत्र कुशलाराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 16 ता 17 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 के पक्ष मे किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध मे कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध मे न्यायायिक दृष्टान्त आर.डी.जे. 1998 पेज 615 एव आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हको को स्थानान्तरण कर सकता है अत वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्यहको को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
कोहड़

Scanned with CamScanner

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 198/198 की कुल 11.9800है भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हेतराम पुत्र कुशलाराम के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में उनके पूर्व हेतराम वल्द कुशलाराम के नाम से दर्ज है हेतराम वल्द कुशलाराम एव उनके पुत्र रामप्रताप , नन्दलाल , हरदत्त का देहान्त हो चुका है हेतराम वल्द कुशलाराम एव उनके पुत्र रामप्रताप , नन्दलाल , हरदत्त के देहानत होने पर सजरा खानदान के अनुसार जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 है जो वाद भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 16 ता 18 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 16 ता 18 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 16 ता 18 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 198/198 की कुल 11.9800है भूमि हेतराम पुत्र कुशलाराम के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ,4 बहिब 1/6 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/6 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/6 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 बहिब 1/6 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 11 ता 15 बहिब 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 18 अकेली 1/6 हिस्सा की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 19/07/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. धर्मपाल पुत्र नन्दलाल जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 बृजलाल पुत्र हेतराम जाति जाट साकिन मालिया तहसील नोहर।
2. जयपाल पुत्र हेतराम जाति जाट साकिन मालिया तहसील नोहर।
3. जगतपाल पुत्र नन्दलाल जाति जाट साकिन मालिया तहसील नोहर।
4. मैना पत्नी नन्दलाल जाति जाट साकिन मालिया तहसील नोहर।
5. बसन्ती पत्नी रामप्रताप जाति जाट साकिन मालिया तहसील नोहर।
6. पवन कुमार पुत्र रामप्रताप जाति जाट साकिन मालिया तहसील नोहर।
7. रचना पुत्री रामप्रताप जाति जाट साकिन मालिया तहसील नोहर।
8. सुनिता पुत्री रामप्रताप जाति जाट साकिन मालिया तहसील नोहर।
9. सुगन पुत्री रामप्रताप जाति जाट साकिन मालिया तहसील नोहर।
10. ऋतू पुत्री रामप्रताप जाति जाट साकिन मालिया तहसील नोहर।
11. बिमला पत्नी हरदत जाति जाट साकिन मालिया तहसील नोहर।
12. धनपत पुत्र हरदत जाति जाट साकिन मालिया तहसील नोहर।
13. पूनम भीचर पुत्री धनपत जाति जाट साकिन मालिया तहसील नोहर।
14. प्रार्वती कुमारी पुत्री धनपत जाति जाट साकिन मालिया तहसील नोहर।
15. सुनीता कुमारी पुत्री धनपत जाति जाट साकिन मालिया तहसील नोहर।
16. सावित्रीदेवी पुत्री हेतराम जाति जाट साकिन मालिया तहसील नोहर।
17. किरणा पुत्री हेतराम जाति जाट साकिन मालिया तहसील नोहर।
18. जीवणी पत्नी हेतराम जाति जाट साकिन मालिया तहसील नोहर।
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 479 सन 2022 निर्णय दिनांक– 19/07/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 198/198 की कुल 11.9800है भूमि हेतराम पुत्र कुशलाराम के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ,4 बहिब 1/6 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/6 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/6 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 बहिब 1/6 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 11 ता 15 बहिब 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 18 अकेली 1/6 हिस्सा की खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/07/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner